**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।**

पत्रांक 58/33–1, दिनांक, गोण्डा, अगस्त 26/2023

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
उ0प्र0राज्य सेतु निगम लि0
तृतीय लखनऊ,विभूति खण्ड,गोमती नगर लखनऊ

विषय– जनपद गोण्डा–उतरौला–डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैण्ट गोण्डा रेल सेक्शन के किलोमीटर 654/5-6 पस0आयक–गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रासिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर 04 लेन रेल उपरिगामी ओवरब्रिज के निर्माण में प्रभावित 1.24014हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 177 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या 8 बी/यूपी0/06/157/2022/एफ0 सी0/306 दिनांक 22.08.2023 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 480/11सी–एफ0पी0/यूपी0/अप्रोच/144323/2021 दिनांक 24.08.2023

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें, जिसके अनुसार शर्त संख्या 2,3, एवं 5,6 पर गोण्डा वन प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करने बावत वांछित धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर संदर्भित आदेश के प्रत्येक बिन्दु का अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर हार्ड कॉपी सम्बन्धित अभिलेखों सहित 4 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

| क्र0सं0 | शर्त संख्या व विवरण | धनराशि रूपये |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **क्षतिपूरक वनीकरण शर्त संख्या 2एवं 3**<br>प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.24014हे0 गैर वनभूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि लिया जायेगा। | 8,66,473.00 |
| 2 | **एन0पी0वी0 धनराशि शर्त संख्या 5एवं 6**<br>शर्त संख्या 5एवं 6 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन अलीगंज जोरबाग रोड नई दिल्ली के पत्रांक सं0–5–3/2011–एफ0सी0(वि0ओ0एल0–1) दिनांक 06.01.2022 द्वारा रिवाइज वर्तमान एन0पी0वी0 की दर एन0पी0वी0 की दर के अनुसार खुले वन के लिए ईको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 12,28,590लाख प्रति हेक्टेयर हेतु अर्थात (1.24014×12,28,590=15,23,624) से आंकलित | 15,23,624.00 |
| योग | **तेईस लाख नब्बे हजार सत्तानबे रूपये मात्र** | 23,90,097.00 |

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा की जाएगी। कृपया उक्त जमा धनराशि का उक्त खाते में भुगतान करें एवं पावती की मूल रसीद (जमा की गयी धनराशि ई–पोर्टल की रसीद) अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर पाँच आख्या के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रत्येक बिन्दु की अनुपालन आख्या प्रतियों में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या ______ अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2–मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।
3–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0 गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।